कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना
टेलीफोन भवन के सामने, आर ब्लॉक, पटना–800 001, बिहार।
(दूरभाष/फैक्स सं0–0612–2507971;Email - rcdpatwest@yahoo.in)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

(1) निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम :– कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, प0नि0वि0, पटना।

(2) परिमाण विपत्र बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय :– दिनांक 11.10.2017 को 1.00 बजे कार्यालय अवधि तक।

(3) निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :– दिनांक 11.10.2017 को 3.00 बजे अपराह्न तक।

(4) निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 11.10.2017 को 3.30 बजे अपराह्न तक।

(5) परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :–
(क) अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय अंचल, प0 नि0 वि0, छज्जुबाग पटना का कार्यालय।
(ख) कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, प0 नि0 वि0, पटना का कार्यालय।
(ग) अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पथ अवर प्रमंडल, दानापुर।

(6) निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान :– क्रमांक 5 के अनुसार।

(7) निविदा खोलने वाले पदाधिकारी :– क्रमांक 5 में अंकित कार्यालय के पदाधिकारियों या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों के द्वारा।

(8) कार्य का व्योरा – अधोलिखित।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि	आरक्षण की कोटी
1	2	3	4	5	6	7
1	बेली पथ के चैनेज 1.660 कि0मी0 से 3.850 कि0मी0 (ROB to Saguna More) तक रोड मार्किंग कार्य वर्ष 2017–18	11,20,004	22,500	2,500	07 दिन	अत्यंत पिछड़ा वर्ग

(9) स्वीकृत परिमाण–विपत्र की राशि के अनुरूप अग्रधन की राशि 5/6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण – पत्र आठवाँ निर्गम, 2/ 3 /5 वर्षीय सावधि डाकघर जमा पासबुक के रूप में कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना के नाम प्रतिज्ञित होगा एवं परिमाण–विपत्र का मूल्य बैंक ड्राफ्ट द्वारा अधोहस्ताक्षरी को देय तथा भारतीय स्टेट बैंक, बेली पथ विश्वेश्वरैया भवन, पटना में भुगतेय होगा।

(10) परिमाण–विपत्र खरीदते समय पथ निर्माण विभाग में समुचित श्रेणी में निबंधित होने का नवीकृत प्रमाण–पत्र/अद्यतन आयकर सफाई प्रमाण–पत्र/पैन कार्ड अद्यतन वाणिज्यकर रजिस्ट्रेशन एवं सफाई प्रमाण–पत्र, लेबर लाईसेंस, जिलाधिकारी या आरक्षी अधीक्षक द्वारा नौ माह या उसके कम अवधि के अन्तर्गत निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियाँ परिमाण–विपत्र प्राप्ति के लिए दिये जाने वाले आवेदन के साथ संलग्न करना होगा तथा एक–एक प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

(11) निविदादाता पार्टनरशीप फर्म हो अथवा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी हो, उन मामलों में केवल मैनेजिंग पार्टनर/प्रबंध निदेशक का जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक द्वारा 9 माह या उससे कम अवधि का निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

(12) निविदादाताओं को परिमाण विपत्र में कार्य करने का दर प्रतिशत (अंको एवं शब्दों दोनो में) अधिक/कम या परिमाण विपत्र दर पर करने हेतु अंकित करना होगा।

(13) कार्य के प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। निर्गत किये जाने वाले परिमाण विपत्र/निविदा कागजात में अंकित प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य ही अंतिम मान्य होगा।

(14) बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है। परिमाण विपत्र की राशि घट–बढ़ सकती है तदनुसार अग्रधन की राशि भी घट–बढ़ सकती है।

(15) निविदादाताओं द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

(16) निविदादाता को सलाह दी जाती है कि निविदा देने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर लें एवं कार्य स्थल की स्थिति तथा अन्य स्थितियों से पूर्ण अवगत हो लें। कार्य आवंटन के पश्चात् कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित अन्य कोई भी दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर एकरारनामा में निहित शर्तो के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

(17) कार्य [illegible]

(18) परिमाण विपत्र खरीदने हेतु आवेदन तथा निविदा के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों/दस्तावेज की मूल प्रति को सक्षम पदाधिकारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

(19) आवंटित कार्य का एकरारनामा विहित प्रपत्र एफ–2 पर सम्पन्न किया जायेगा जिसका कंडिका–23 विलोपित समझी जायेगी।

(20) क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 में किसी दिन अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस मान्य होगा तथा अलग से इसकी कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

(21) **Standard Bidding Document** के क्लॉज–10 सी० एवं क्लॉज–35 में निहित प्रावधान जो 5 करोड़ से ऊपर सभी निविदाओं में लागू था, उसे 5 करोड़ से नीचे वाली सभी निविदाओं में पथ निर्माण विभाग, संकल्प, ज्ञापांक 2876 (एस०) डब्लू ई०, पटना, दिनांक 15.05.2007 के अनुसार लागू होगा।

(22) विभाग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली यंत्र–संयत्र, रोड रौलर के भाड़े की कटौती विभाग द्वारा निर्धारित दर पर नियमानुसार किया जायेगा।

(23) अनियोजित अभियंताओं से आवंटित कार्य के विरूद्ध अग्रधन की राशि मात्र एक प्रतिशत ली जाएगी जिसमें बैंक गारंटी भी अनुमाण्य होगी। जमानत की शेष 9 (नौ) प्रतिशत उनके चालू विपत्र से कटौती की जाएगी।

(24) अनियोजित अभियंता को निविदा देते समय यह शपथ पत्र (Affidavit) देना होगा कि उन्होंने कहाँ से और किस वर्ष डिग्री/डिप्लोमा पास किये है तथा वे अब तक अनियोजित है। शपथ–पत्र गलत पाये जाने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(25) अनियोजित अभियंताओं को कार्य विभाग के अन्तर्गत ठीकेदारी निबंधन श्रेणी के तहत निबंधित होना आवश्यक है।

(26) अनियोजित अभियंता किसी भी कार्य विभाग के अन्तर्गत एक ही कार्य अंचल में कार्य ले सकेंगे और वहीं अंचल उनका कार्य क्षेत्र होगा।

(27) विशेष सूचना के लिए अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें या सूचना पट्ट देंखे। अन्य शर्तें परिमाण विपत्र के साथ संलग्न रहेगा, जो एकरारनामा का एक अंग होगा।

ह०/–
कार्यपालक अभियंता,
पटना पश्चिम पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापांक – दिनांक –

प्रतिलिपि – अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू समर्पित।

ह०/–
कार्यपालक अभियंता,
पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना।

ज्ञापांक – 3031 दिनांक – 7.10.017

प्रतिलिपि – अधीक्षण अभियंता, (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना।
07.10.17

6

8813